Seventeenth Loksabha

an>

Title : Regarding certain colonies of Delhi facing the threat of demolition -laid.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मैं सरकार एवं विशेषतः माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी का ध्यान दिल्ली के कुछ निवासियों की गंभीर समस्याओं की तरफ केन्द्रित करना चाहता हूं । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनेकों गाँव स्थित है, गाँव के आसपास गांववासियों की निजी कृषि भूमि स्थित थी । बढ़ते परिवार के कारण गाँववासियों ने अपनी निजी कृषि भूमि पर मकान का निर्माण कर लिया । वहीं दूसरी ओर पूर्व में कौड़ियों के भाव में भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था । वहीं अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार के लिए अनेकों राज्यों से पलायन होने से दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी । दिल्ली विकास प्राधिकरण जिसका गठन दिल्ली में सस्ते दामों पर आवास प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था, वह पूर्व में व्यवसायिक संस्था के रूप में काम कर रही थी । इन्हीं कारणों से निजी कॉलोनाइजर के द्वारा हजारों अनधिकृत कॉलोनियाँ विकसित हो गई । मेरे संसदीय क्षेत्र में भी ऐसे अनेकों अनियमित कॉलोनियाँ विकसित हुई थी । वर्ष 1994 में दिनांक 24.05.1994 को दिल्ली सरकार द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें रिज की भूमि को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई । 26 वर्षों बाद भी आज तक धारा 20 नहीं लायी गयी ।

अत्यंत दुख का विषय है कि अधिसूचना जारी करते वक्त अधिकारियों द्वारा सही रूप से सर्वे नहीं किया गया जिसके कारण कई गाँव व कॉलोनियों में 40 वर्षों से स्थित सैंकड़ों घर भी अधिसूचना में डाल दिए गए । वे सभी लोग अधिसूचना के 20 वर्ष पूर्व से वहां रह रहे हैं । सही डिमार्केशन न होने के कारण आज उनका घर दिल्ली रिज में आ गया है । वहाँ के निवासियों को दिल्ली सरकार द्वारा अतिक्रमण बताकर उनके घर तोड़ने का आदेश किया जा रहा है ।

आज वहां के निवासी भय के वातावरण में रह रहे हैं । एक तरफ जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी को घर की व्यवस्था सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार द्वारा गलत डिमार्केशन के आधार पर सैकड़ों घरों को अतिक्रमण बताकर तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है ।

मेरा माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से यह आग्रह है कि वह माननीय एल.जी. साहब को निर्देश दें कि वे शीघ्र एक विशेष कमेटी का गठन कर सही डिमार्केशन करें एवं निजी भूमि पर स्थित मकानों की सुरक्षा की जाए । उन सभी घरों को दिल्ली रिज की सीमा से बाहर किया जाए ।